

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

फौजदारी प्रकरण संख्या 02/2015

सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक प्रथम, अजमेर।

— प्रार्थी

बनाम

श्री रामकरण उर्फ शिवराज पुत्र श्री उदा जाति कहार, निवासी नदी-। सराधना, पुलिस थाना मांगलियावास, जिला अजमेर।

— गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित—

1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर।
2. श्री जितेन्द्र गौड़, वकील गैरसायल की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक : 30.05.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि थानाधिकारी पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहा. लोक अभियोजक अजमेर गैरसायल श्री रामकरण उर्फ शिवराज पुत्र श्री उदा जाति कहार, निवासी नदी-। सराधना, पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 28.08.2015 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत लोगो की संगत में पड़ गया व गांव में हथकड़ी शराब बेचने की गलत आदत पड़ जाने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के साथ रहकर नशा करने की आदत पड़ गई। नशे की लत को पूर्ण करने के लिए गैरसायल जुआ खेलने व दादागिरी करने का आदि हो गया जिससे उक्त शक्स को काफी भय उत्पन्न हो गया, जिससे आम जनता शक्स मजकुर व भय के कारण इसके विरुद्ध गवाही एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराती है। गैरसायल के विरुद्ध 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व धारा 110 जा.फौ. के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजा भी दी गई है। गैरसायल जुर्म करने का अभ्यस्त हो गया है। गैरसायल का आजाद रहना समाज के लिए संकटमय हो गया है। अतः परिवाद



अपर ~~मजिस्ट्रेट~~ एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

स्वीकार कर गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही की जावे। परिवाद पेश होने पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित हुए तथा राशि रूपये 25,000 की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश किया, जिसे स्वीकार/तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि गैरसायल श्री रामकरण उर्फ शिवराज पुत्र श्री उदा जाति कहार, निवासी नदी-। सराधना, पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 28.08.2015 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल बचपन से ही गलत लोगो की संगत में पड़ गया व गांव में हथकड़ी शराब बेचने की गलत आदत पड़ जाने से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के साथ रहकर नशा करने की आदत पड़ गई। नशे की लत को पूर्ण करने के लिए गैरसायल जुआ खेलने व दादागिरी करने का आदि हो गया जिससे उक्त शक्स को काफी भय उत्पन्न हो गया, जिससे आम जनता शक्स मजकुर व भय के कारण इसके विरुद्ध गवाही एवं पुलिस में रिपोर्ट देने से कतराती है। गैरसालय के विरुद्ध 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व धारा 110 जा.फौ. के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजा भी दी गई है। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर 6 माह की अवधि के लिए उन्हें जिला बदर किया जावे।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम अजमेर द्वारा प्रस्तुत बहस का विरोध करते हुए वकील गैरसायल ने कथन किया कि इस्तगासे में अंकित समस्त कथन झूठे है। पुलिस थाना मांगलियावास द्वारा गैरसायल के विरुद्ध द्वैषतावश झूठे मुकदमे दर्ज कर फसाया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध 2009, 2010, 2011, 2013 व 2015 को झूठे मुकदमें दर्ज किये गये थे, जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। 2015 के पश्चात् गैरसायल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण न तो दर्ज है और न ही फौजदारी कार्यवाही की गई है। उन्होंने यह भी कथन किया कि गैरसायल के चरित्र व आचरण तथा फौजदारी प्रकरणों के बारे में जांच करवायी जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी गैरसायल की होगी। गैरसायल खेती-बाड़ी करके पत्नी व बच्चों का भरण-पोषण कर रहा है। अपने कथनों के समर्थन में गैरसालय द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वकील गैरसालय ने अन्त में कथन किया कि परिवाद निरस्त किया जाकर गैरसायल की विरुद्ध की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे।




अपर न्यायाधीश एच
अपर जिला न्यायाधीश
अजमेर

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तागासे का अवलोकन करने पर एक ही प्रकृति के 3 प्रकरण यथा 2 आरपीजीओ का अपराध एवं 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम व 2 प्रकरण धारा 110 जाप्ता फौजदारी के विचाराधीन थे, जिनका निस्तारण हो चुका है। साथ ही इस्तागासा दिनांक 28.08.2015 को प्रस्तुत किया गया है, जिसे करीब 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पुलिस द्वारा इस्तागासा प्रस्तुत करने के पश्चात् आज दिवस तक अभियुक्त की वर्तमान गतिविधि के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे अभियुक्त की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में उपधारणा किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट के आधार पर इस स्तर पर किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के आधार प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उक्तानुसार इस्तागासों की राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम धारा 3 की उपधारा 3 की परिधि में नहीं पाये जाने पर प्राप्त इस्तागासे को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अपर जिला अजमेर, अजमेर